By Speed Post

भारत सरकार

Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/1/VC(UP)/2019/RU-I

Dated: 4 /07/2019

To,

1. The District Magistrate,
   District – Varanasi,
   (Uttar Pradesh).
2. The District Magistrate,
   District – Chandauli,
   (Uttar Pradesh).
3. The District Magistrate,
   District – Mirzapur,
   (Uttar Pradesh)

Sub: माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 09.06.2019 से 11.06.2019 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की दौरा रिपोर्ट।

महोदय,

सुश्री अनुसुइया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 09.06.2019 से 11.06.2019 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौली तथा मिर्ज़ापुर जिलों का क्षेत्रीय दौरा किया गया, रिपोर्ट संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि दौरा रिपोर्ट की अनुसंशाओं पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही से आयोग को पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर सूचना भेजने का कष्ट करे।

भवदीय,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/ सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow

Copy to:

1. PS to Hon'ble VC, NCST
2. NIC (for hosting on Commission website)
3. AD (Coord), NCST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनांक 09 जून 2019 से 11 जून 2019 तक उत्तर प्रदेश के तीन जिलों यथा- वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर का क्षेत्रीय दौरा।

दौरा रिपोर्ट :

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	1. **सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार 2. **श्री गौरव कुमार** उपाध्यक्ष के निजी सचिव 3. **श्री एस. पी. मीना** सहायक निदेशक
2.	दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	09 जून 2019 से 11 जून 2019
3.	दौरा किया गया स्थान	वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण / संगठनों से मिले	**चंदौली के प्रमुख अधिकारी:-** 1. श्री नवनीत सिंह चहल, जिला कलेक्टर, चंदौली 2. श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, चंदौली 3. श्री अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली 4. श्री राम सजीवन मौर्या, एस डी एम, सकलडीहा, चंदौली 5. श्री फूल चंद यादव, तहसीलदार, चंदौली 6. श्री आर. के. सिंह, समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली **मीरजापुर के प्रमुख अधिकारी:-** 1. श्री अनुराग पटेल, जिला कलेक्टर, मीरजापुर 7. श्री यू.पी. सिंह, अपर जिला अधिकारी, मीरजापुर 8. श्री सत्य प्रकाश, उप जिला अधिकारी, चुनार, मीरजापुर 9. श्री ए. के. सिंह, समाज कल्याण अधिकारी, मीरजापुर 10. श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		प्रमुख व्यक्ति:- 1. श्री डॉ. बनवारी लाल, अध्यक्ष, जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, वाराणसी 2. श्री कमलेश नारायण गोंड, से नि अपर आयुक्त 3. श्री अरविंद गोंड, जनजाति समाज के प्रतिनिधि 4. श्री अरुण कुमार गोंड, गोंड वेल्फेयर इम्प्लाईज़ एसोशिएसन, उत्तर प्रदेश 5. श्री भागवत गोंड, चंदौली 6. श्री दीपक गोंड, उत्तर प्रदेश एस टी मोर्चा 7. श्री रामधनी गोंड, वराणसी 8. श्री बबलू गोंड, वाराणसी 9. श्री संजय गोंड, वाराणसी 10. श्री रामकृत गोंड, चंदौली 11. श्री शंभू नाथ गोंड, जिला पंचायत सदस्य, चंदौली 12. श्री संतोष गोंड, चंदौली 13. श्री गंगेश साह गोंडवाना, चंदौली 14. श्री सूबेदार गोंड, चंदौली 15. श्री गुलाब चंद गोंड, चंदौली 16. श्री रविन्द्र नाथ गोंड, चंदौली 17. श्री महादेव प्रसाद गोंड, चंदौली 18. श्री रामपति गोंड, चंदौली 19. श्री दीलिप गोंड, चंदौली 20. श्री घनश्याम गोंड, मीरजापुर 21. श्री श्रवन गोंड, मीरजापुर 22. श्री सतपाल भारती, ग्राम प्रधान, मीरजापुर 23. श्रीमती चन्द्र देवी, मीरजापुर 24. सुश्री पूजा गोंड, सहायक प्राध्यापक, मीरजापुर एवं विभिन्न जनजाति समाज के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि आदि।
5.	**दौरा के मुख्य बिन्दु :** उत्तर प्रदेश के तीन जिलों यथा वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर में गोंड जनजाति वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र सहित छात्रवृति और अन्य मुद्दों पर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक तथा समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना। भगवान बिरसा मुंडा के 119 वां बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना। (भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)	

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 09 जून 2019

भगवान बिरसा मुंडा के 119 वां बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन समूह को संबोधित करते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

1. **वाराणसी** आगमन, महगाँव में आयोजित भगवान् बिरसा मुंडा के 119 वां बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय एवं अन्य व्यक्तिगण उपस्थित थें। कार्यक्रम में श्री बिरसामुंडा जी को श्रद्धासुमन अर्पित किये गये। तदुपरांत मेरे द्वारा जन समूह को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुण्डा के योगदान और बलिदान को याद किया गया। मैंने जनजाति समाज को भगवान श्री विरसामुंडा जी के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि उनका योगदान देश और जनजाति समाज के लिए अत्यंत अहम रहा है। उन्होंने जल-जंगल-जमीन का ऐसा नारा दिया जो आज भी उन्हें देश के इतिहास में अमर कर दिया है। जनजाति समाज का इतिहास बहुत पुराना है और गौरवशाली रहा है। जनजाति समाज सदियों से इस देश में रहता चला आ रहा है और वे देश के मूल निवासी हैं। इसके साथ ही मैंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजाति हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यप्रणाली, उद्देश्य कीं भी जानकारी देते हुए बताया कि आयोग प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, उनके प्रति अत्याचार को रोकने, सरकारी सेवाओं या समाज में उनके प्रति भेदभाव का समास करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आयोग ने ऐसे कई मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भगवान बिरसा मुंडा के 119 वां बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

2. संध्याकाळ लक्ष्मण दास अतिथि गृह, बीएचयू वाराणसी मे विभिन्न जनजातीय प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएँ सुनी, और क्षेत्र की जनजातियों से संबन्धित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जिले मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की प्रमुख समस्या जाति प्रमाण पत्र का जारी नही होना बताया गया। इसके अतिरिक्त जनजाति समाज के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी प्राप्त हुई।

दिनांक 10 जून 2019

3. चंदौली, उत्तरप्रदेश में आयोजित पूर्वांचल गोंड जन जातीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मैंने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराते हुए पूर्वजों की परंपराओं, रीतिरिवाजों, सिंद्धातों से सबक लेकर अपना जीवन स्तर सुधारने के प्रति जागरूक किया और कहा कि जनजाति समाज का इतिहास बहुत पुराना है। जनजाति समाज इस देश के मूल अंग हैं जिन्होंने इस देश पर वर्षो तक राज किया है और देश को एकता अखण्डता के सूत्र में बाँधा है। साथ ही मैंने अपने संबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, उनके प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने, सरकारी सेवाओं या समाज में उनके प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आयोग ने ऐसे कई मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाया है। इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया।

चंदौली में गोंड जनजाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जन समूह को संबोधित करते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

1. चंदौली जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयोग में दर्ज प्रकरणों पर जिला अधिकारियों से चर्चा कर लंवित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही साथ ही बैठक में उपस्थित जनजाति प्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गए मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों के शीघ्र समाधान करने हेतु आवश्यक निर्देश सुझाव दिए गए। / जिले में जाति प्रमाण पत्र नही बनाये जाने और बने हुए जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त किये जाने शिकायतों के आधार पर उपस्थित अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप जाति प्रमाण बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा इन मामलों में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

चंदौली जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते **हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके**

दिनांक 11 जून 2019

2. मिर्जापुर जिले के अदलहाट में आयोजित पूर्वांचल गोंड जनजातीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मैंने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को उदबोधन के माध्यम से जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराते हुए जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही मैंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजाति हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, उनपर होने वाले अत्याचारों को रोकने, विभिन्न स्तरों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आयोग ने प्राप्त अपीलों में पीड़ितों को न्याय दिलाया है। साथ ही

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

जनजाति समाज को एकता और सद्भाव से रहने की अपील की गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया।

मिर्जापुर जिले के अदलहाट में आयोजित पूर्वांचल गोंड जनजातीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन करते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

मिर्जापुर जिले के अदलहाट में आयोजित पूर्वांचल गोंड जनजातीय सम्मेलन में प्रतिभावान छात्रा को पुरस्कृत करते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. मीरजापुर जिला कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनजाति समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में आयोग में दर्ज प्रकरणों पर जिला अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिये गय। बैठक में उपस्थित जनजाति प्रतिनिधियों के मामलों पर भी चर्चा की गई और इन मामलों के निराकरण के निर्देश एवं सुझाव दिए गए। जिले में जाति प्रमाण पत्र नही बनाये जाने या बने हुए जाति प्रमाण़ पत्र को निरस्त किये जाने की शिकायतों पर उपस्थित अधिकारियों को शासन के नियमानुसार जाति प्रमाण जारी करने के निर्देश दिये। जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृति के संबंध में मिली शिकायत के आधार पर शीघ्र छात्रवृति दिलाने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर द्वारा इन मामलों में शीघ्र एक कमिटी बनाकर कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मीरजापुर जिला कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए **माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके**

अनुवर्ती कार्यवाई किया गया एवं किसके द्वारा:

(जिसके साथ मुद्दे पर एन. सी. एस. टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई की जानी है, उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफ़ारिशों का उल्लेख किया जाय)

उत्तर प्रदेश के तीन जिलों यथा वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर में गोंड जनजाति वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य मुद्दों पर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक तथा समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जिला समीक्षा बैठक, जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने और निरस्त आवेदन के जांच के दौरान कई अहम मुद्दे और अनियमितता सामने आई। इनमे कुछ अहम मुद्दे निम्नलिखित है जिस पर आयोग अनुशंसा करता है:-

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. सबसे अहम समस्या जो सभी जिलों मे सामान्य है वह यह है कि लेखपाल के द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तुत आवेदन पर शासनादेश के प्रतिकूल जांच आख्या/ टिप्पणी की जाती है। जाति प्रमाण पत्र के जांच के लिए निर्धारित मापदंड का पालन नही किया जाता, किसी तरह के दस्तावेज़ नही देखे जाते और केवल स्थलीय पूछताछ कर लेखपाल की टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार इसे निरस्त कर देते हैं। आयोग यह अनुशंसा करता है कि सभी जिले मे लेखपाल द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे समुचित तरीके से प्रशिक्षित किया जाय कि उन्हे किन आधार पर जाति की जांच करनी है। इसके लिए शासनादेश मे स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गए हैं। साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि लेखपाल द्वारा टिप्पणी देने के लिए एक शासनादेश के अनुरूप एक स्पष्ट प्रारूप बनाया जाय जिसके आधार पर लेखपाल अपनी टिप्पणी देंगे।
2. शासनादेश के आधार पर जाति की जांच की जानी चाहिए और लेखपाल द्वारा समुचित टिप्पणी की जानी चाहिए, लेखपाल जाति का निर्धारक नही है उसे केवल दस्तावेजों के आधार पर अपनी सही जांच आख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि निरर्थक आधारों पर और बिना समुचित जांच के निरस्त आवेदनों की दुबारा शासनादेश के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच की जाय और सही तथा योग्य लोगों के आवेदन पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा पूर्व में बने जाति प्रमाण पत्र को अकारण और नियम विरुद्ध निरस्त किया जा रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय के माधुरी पाटिल निर्णय का उल्लंघन है जिसमें जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल छानबीन समिति को दिया गया है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि ऐसे मामलों की जांच की जाय और सम्बंधित तहसीलदार पर जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुकूल कार्यवाही की जाय।
3. कई जिले मे ऐसी समस्या भी आयोग के समक्ष आई कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र- छात्राओं के लिए शासन स्तर से जारी किया जाने वाली छात्रवृति उन्हें करीब 2-3 वर्षों समय पर प्राप्त नही हो रही है। जिला अधिकारियों द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि बजट की उपलब्धता की कमी के कारण छात्रों को समय पर छात्रवृति प्राप्त नही हुई है। राज्य शासन इसके लिए समुचित कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र- छात्राओं की छात्रवृति समय पर जारी किया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके

(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi